छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-एक (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-एक (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द "रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द एवं धमतरी" के स्थान पर, शब्द "रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदा-बाजार" प्रतिस्थापित किया जाये.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र."

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम का क्रियान्वयन.

4. समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के पूर्व, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रवृत्त हों, वे दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक 3715/डी. 140/21-अ/प्रारू./छ.ग./ 15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-04-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.